

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 15/07/2024

विषय—

श्री मनोज कुमार उपाध्याय द्वारा जमुई जिलान्तर्गत गोपीडीह मौजा के खाता संख्या—5, 3, 2, खेसरा संख्या—101, 103, 104, 107, 108, 110, 112, थाना संख्या—24, अंचल—चकाई में NH-333 चकाई—झारखंड बार्डर पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0195 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग—

आपका पत्रांक 249, दिनांक 22.04.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/145621/2021/1275, दिनांक 13.07.2023 द्वारा दो भागों में (A में 1-6 शर्त एवं B में 1-9 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

भाग—A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,94,632/- को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506270145621946, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 25.04.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- SBINR52024042518346522 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा 0.0195 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 18,677/- को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506270145621946, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 25.04.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- SBINR52024042518346522 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, Bengaluru के खाता में दिनांक 25.04.2024 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

५७

भाग-B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन

Mang Kumar Upadhyay

(मनोज कुमार उपाध्याय)

पिता-स्व. सतीश चन्द्र उपाध्याय,

ग्राम-गोपीडीह, पोस्ट-कोराने,

थाना-चन्द्रमनडीह, जिला-जमुई,

पिन-811303

32



भारतीय स्टेट बैंक

STATE BANK OF INDIA

Counter foil

Branch ... JASIDIH

Date ... 25/04/2024

Received ₹ ... 9,13,309/-

From Mang Kumar Upadhyay

For remittance of NEFT/RTGS by way of

(i) Transfer (only NEFT), (ii) Cash (only NEFT), (iii) Cheque (NEFT/RTGS) using cheque No. 895575

favouring BIHAR CAMPA

A/c No. 1506270145621946

IFSC Code UBIN0996335

Beneficiary Bank & Branch Union Bank

of India, Bengaluru

Amount ₹ 9,13,309/-

Bank's Charges ₹ 47.20

Total ₹ 9,13,356.20

(Rupees Nine lakhs thirteen thousand three hundred fifty six rupees Only)

For office Use,

UTR No.

Branch Manager

SBI NR 52024042518346522

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, जमुई के तहत रैखिक परियोजना
निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र
(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक
28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या.....357...../सा0, दिनांक.....23/02/24

प्रमाणित किया जाता है कि जमुई जिले में प्रयोक्ता एजेंसी B.P.C.L. बरौनी द्वारा B.P.C.L. रैखिक परियोजना निर्माण स्थान चकाई-देवघर पथ किनारे तक कुल 26 मी0 में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 0.0195 हे0 रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 1859, दिनांक 09.10.2021 एवं अंचल अधिकारी, चकाई के पत्रांक 664 दिनांक 28.08.2023 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवेदक को प्रेषित पत्र के आलोक में आवेदक द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है।

तदआलोक में प्रस्ताव के जाँचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होनेवाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान-जमुई
तिथि-

जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर
एवं मोहर

OR

Certified that Forest land Proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day Of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011

Place: JAMUI
Dated:

District Magistrate
and Office Seal